(74)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3280–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–10–2015 पारित द्वारा तहसीलदार बेरसिया जिला भोपाल, प्रकरण कमांक 167/अ–6/13–14

.....

इसरत मोहम्मद पुत्र मोहम्मद मुनब्बर खॉ
निवासी वार्ड कमांक 7 बेरसिया जिला भोपाल

..... आवेदक

विरूद्ध

1–मर्सरतजहॉ पत्नी इकबाल अहमद
निवासी ढलकपुरा विदिशा जिला विदिशा
2–निखतजहॉ पत्नी निसार अहमद
निवासी सतपाडा सरॉय
3–शाहीनजहॉ पत्नी खालिद खान
निवासी डांडिया नसरूल्लागंज
4–शहनाजजहॉ पत्नी समद खान
निवासी खानूगांव भोपाल
5–मो0शाहनवाज खान उर्फ राजा
6–मो0शाहवेज खान उर्फ शानू
7–मो0मुवीन खान उर्फ अमन
8–शवा कौसर पत्नी अमजद खान
निवासीगण बुधवारा भोपाल

..... अनावेदकगण

सरवर मोहम्मद पुत्र मोहम्मद मुनब्बर खॉ
निवासीगण इस्लामपुरा बेरसिया जिला भोपाल

.....तृतीय पक्षकार

.....

श्री सुभाष सक्सैना, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री सुनीलसिह जादौन, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 10/1/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार बेरसिया जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–10–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा मृतक भूमिस्वामी मुनब्बर खॉ की भूमि वारिसाना नामान्तरण हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई। कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही को स्थगित रखे जाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 6–10–15 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार वाद प्रचलित है और स्वत्व का निराकरण व्यवहार न्यायालय से ही होना है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित नहीं करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धकारी है इस कारण भी तहसील न्यायालय को व्यवहार न्यायालय के प्रकरण के निराकरण तक कार्यवाही स्थगित करना चाहिये । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर व्यवहार न्यायालय में प्रकरण के निराकरण तक तहसील न्यायालय में प्रचलित कार्यवाही स्थगित रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा केवल यही गया कि व्यवहार न्यायालय से स्थगन नहीं होने के कारण तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय में प्रचलित प्रकरण को लंबित रखने के उददेश्य से की गई है, इसलिये तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय के प्रकरण कमांक 95–ए/2015 में पारित निर्णय दिनांक 15–5–2015 से राजस्व अभिलेखों में यथास्थिति के आदेश बनाये रखे जाने के आदेश दिये गये है अतः

व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में तहसील न्यायालय को प्रकरण में यथास्थिति बनायी रखी जानी चाहिये थी, किन्तु उनके द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनुचित कार्यवाही की गई है, इसलिये तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार बेरसिया जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–10–2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण व्यवहार न्यायालय के प्रकरण कमांक 95–ए/2015 में पारित निर्णय दिनांक 15–5–2015 के कम में तहसील न्यायालय को उनके समक्ष प्रचलित प्रकरण में कार्यवाही स्थगित रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर